

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं निकास परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2—उपाध्यक्ष,
समस्त विकारा प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3— सचिव,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

लखनऊः दिनांक 28फरवरी, 2011

विषयः भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 (यथासंशोधित) की धारा—17 का प्रयोग
किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—71—1 / 13—11—7—3(1) / 90—59टी0सी0—। दिनांक 04.02.2011 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2— इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के संलग्न शासनादेश दिनांक 04.02.2011 में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए तदनुरूप ही भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या— (1) / 8—3—2011

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।

2— अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए शासनादेश की प्रतियां सभी सम्बंधित को प्रेषित करने का काज्ञा से,

3— गार्ड फाइल।

अजय दीप सिंह
(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—७१-१/१३-११-७-३(१)/९०-५९टी.री.—।

प्रेषक,

विष्णु प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
राजस्व विभाग,
उ०प्र० शासन।

३६ फार्मा० ॥
४१)

सेवा में

समर्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—१३

लखनऊ दिनांक ०४ फरवरी, २०११

विषय— भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ (यथा संशोधित १९८४) की धारा १७ का प्रयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

१३।५।१।१। उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—१२९१/१—१३—२००४—७—३ (१)/९०—५९ टी.री.—रा०—१३, ५।८। ०६ अगस्त, २००४ द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि धारा—४ व ६ संपाठित धारा—१७ भूमि अर्जन अधिनियम की विज्ञप्ति संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं जारी की जाये। यह अनुभंग किया गया है कि धारा—४ व ६ संपाठित धारा—१७ के प्रयोग के संबंध में समर्त प्रशासकीय विभागों को दी गयी शक्ति का प्रयोग युवितयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। धारा—१७ का प्रयोग अत्यन्त १।२।१। आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना अपेक्षित होता है और उसके पूर्व यह देखा जाना आवश्यक होता है कि धारा—१७ के उपयोग की अपरिहार्यता है।

२।३।२। जैव विवरण अस्तु, धारा—१७ के युक्ति संगत प्रयोग एवं उसमें एकरूपता सुनिश्चित करने वाले उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ६ विभागों कमशः लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग, औद्योगिक

२।३।३। विकास विभाग, सिंचाई विभाग एवं नगर विकास विभाग को छोड़कर शेष अन्य समर्त विभागों द्वारा भूमि अध्याप्ति के प्रकरणों में यदि धारा—१७ का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसे समर्त प्रस्ताव कलेक्टर को उपलब्ध कराये जायेंगे।

२।३।४। और तदोपरान्त भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध करायें जायेंगे।

राजस्त विभाग ऐसे प्रतालों जिनमें धारा-4 (1) पर धारा-6 (1) संपुष्टि धारा-17 का प्रयोग किया जाना प्रत्यावित हो उन प्रकरणों में ऐसी विज्ञापि निर्गत करने से पूर्व धारा-17 के प्रयोग के औचित्य के संबंध में शासन के राजस्व विभाग का पूर्वानुभोदन आनेवाले रूप से प्राप्त करेंगे। ऐसे भू अर्जन प्रतालों का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा जिसमें शासनादेश संख्या-1548/1-13-2002-र10-12, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 एवं संख्या- 1666/1-13-2010-18-1(95)/10, दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 तथा परिषद के आदेश संख्या- 2623/10(भू9310)/93 अ/04, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 विभाष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार समरत अधिलेखों सहित ऐसे भू अर्जन प्रतालों के राजस्व धारा-17 का प्रयोग किये जाने के औचित्य के संबंध में एक विस्तृत टिप्पणी तीन पतियों में अलग से पत्रावली में प्रस्तुत किया जाना भी अनिवार्य होगा।

उपरोक्त प्रतर-2 में उल्लिखित 6 विभागों द्वारा धारा-17 का प्रयोग राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के परिप्रेक्षण में घतीगति विचार करने के उपरान्त अपने रहर से ही पूर्ववत किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (विष्णु प्रताप सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या: 71(1)-1/13-11-7-3(1)/90-59टी.सी.-।/तदृदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्यापि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. शासन के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।


 (भवदीय संजन)
 अनु सचिव